प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2025

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामव्यास सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह, निवासी जनपद-सुल्तानपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023) दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामव्यास सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह, गाजनपुर, थाना-मुसाफिर खाना, जनपद-सुल्तानपुर का निवासी है। **प्रथम घटना** पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12.02.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर शिवकुमार सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। **द्वितीय घटना** पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 16.08.2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, तमन्चों व बन्दूक से गोली मारकर श्याम अजय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को (**1-**)सत्र परीक्षण संख्या-172, 174/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 3/25ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी तृतीय, कक्ष सं0-12, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 23.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2)-एसटी नं0-527,528/2007, धारा-302/34, 323/34 व 25ए एक्ट में मा**0** अपर सत्र न्यायाधीश/एक्स कैडर, कक्ष सं0-03, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 30.04.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी के ऊपर 01 अन्य वाद विचाराधीन है, बंदी द्वारा **प्रथम केश** में दिनांक 03.08.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 01 माह, 20 दिन की सजा भोगी गयी है। **द्वितीय केस** में दिनांक 03.08.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 09 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक होने व बन्दी द्वारा जमानत पर छूटने के बाद भी श्याम अजय सिंह की हत्या की गयी थी, बन्दी जिस अपराध में सजा भुगत रहा है वह अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से अवश्य ही अपराध में संलिप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12.02.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर शिवकुमार सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने एवं द्वितीय घटना पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 16.08.2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, तमन्चों व बन्दूक से गोली मारकर श्याम अजय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामव्यास सिंह पुत्र सुरेश सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामव्यास सिंह (बन्दी संख्या-807/2021) पुत्र श्री सुरेश सिंह, निवासी जनपद-सुल्तानपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-440/2025/3803(1)/22-2-2023 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-440/2025/3803/22-2-2023-17(1350)/2023

दिनांक 08 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामव्यास सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह, गाजनपुर, थाना-मुसाफिर खाना, जनपद-सुल्तानपुर का निवासी है। **प्रथम घटना** पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12.02.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर शिवकुमार सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। **द्वितीय घटना** पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 16.08.2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, तमन्चों व बन्दूक से गोली मारकर श्याम अजय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को (**1-)**सत्र परीक्षण संख्या-172, 174/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 3/25ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी तृतीय, कक्ष सं0-12, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 23.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2)-एसटी नं0-527,528/2007, धारा-302/34, 323/34 व 25ए एक्ट में मा**0** अपर सत्र न्यायाधीश/एक्स कैडर, कक्ष सं0-03, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 30.04.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी के ऊपर 01 अन्य वाद विचाराधीन है, बंदी द्वारा **प्रथम केश** में दिनांक 03.08.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष 01 माह, 20 दिन की सजा भोगी गयी है। **द्वितीय केस** में दिनांक 03.08.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 09 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक होने व बन्दी द्वारा जमानत पर छूटने के बाद भी श्याम अजय सिंह की हत्या की गयी थी, बन्दी जिस अपराध में सजा भुगत रहा है वह अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से अवश्य ही अपराध में संलिप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12.02.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर शिवकुमार सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने एवं द्वितीय घटना पूर्व में हुई हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 16.08.2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, तमन्चों व बन्दूक से गोली मारकर श्याम अजय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामव्यास सिंह पुत्र सुरेश सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in